

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जम्मू

कार्यालय टिप्पणी

मैंक बनाम सरकार

जर्जना पत्र सं-166/2018

28/11/18 - पत्रावली घेरा हुआ जर्जी में उक्त जर्जना पत्र न्याय आपके इम्पैड रिपॉर्ट वासना में खतबत द्वारा 13/132, 136 LR 14 के तहत दिनांक 26/06/18 को पेश किया जिसमें उक्ति किया कि राम वासना तहसील जम्मू जिले के साक्षि स्व० सं० 209 के पूर्व में आवदी में संपरिवर्तन हुआ था जिसके नवीन स्व० सं० 45, सैरलमेंट के बाद कायम किया गये गये जिसको सुदूर कायम कर दिया गया तथा स्व० सं० 45 का पूर्व भाग पारागाह में कायम कर, स्व० सं० 53 उक्ति कर दिया किन्तु पूर्व रिकॉर्ड अनुसार 53 का कोई मकका नहीं है। अतः स्व० सं० 45 को पूर्व स्व० सं० 209 के अनुसार कायम करने के आदेश उदाण करो।

उक्त आदेश पत्र को तहसीलदार जम्मू जिले को रिफर के पत्रांक 633 दिनांक 26/06/2018 को भेजा गया।

तहसीलदार जम्मू जिले ने दिनांक 31/07/2018 को पथारी हफ्ता की मूल रिपोर्ट पेश की जिसमें उक्ति किया कि मुताबिक हाल रिकॉर्ड के अनुसार स्व० सं० 209/3/10 हाल स्व० सं० 45 रकबा 2.50 हेक्टेर गैंगु आवदी दर्ज रिकॉर्ड है नामक आवदी 90 पर नजरी तरतीम नहीं है ना ही मकका लक्षण में उक्त 90 आवदी की तरतीम है।

[Signature] - P.T.O →
 उपखण्ड अधिकारी
 जम्मू जिले

कार्यालय टिप्पणी

प्राप्ति पत्र सं- 166/2018

उपधान - भूमि योजना सरकार

उक्त हाल नक्शा व गत नक्शा का मिलान करने पर दोनों में मिलान नहीं हो पाता है। एक तरफ से मिलान करते हैं तो दूसरी तरफ से मिलान नहीं हो पाता है। उक्त समस्या के कारण पुस्तकित कर पेय किया जाना संभव नहीं है।

दिनांक 16/07/19 को तहसीलदार जगवारागढ से स्पष्ट रिपोर्ट लेने के आदेश दिए गए। इस न्यायालय के पत्र क्रमांक 8283 दिनांक 19/09/19 के द्वारा स्पष्ट रिपोर्ट लेने हेतु तहसीलदार जगवारागढ को पत्र किया गया।

तहसीलदार जगवारागढ ने अपने पत्र क्रमांक 286 दिनांक 24/10/2019 के द्वारा रिपोर्ट पेय की जिसमें अंकित किया कि गम वासना के आराजी खण्ड- 209/3 खचा 10 कीच के हाल खण्ड 45 खचा 2.50 हेमेटा गैंगमु आवासी के दक्षिणी भाग का पूर्व नक्शा) लच्छा अनुत्तर दुबेलीकाब-वाही है। गत नक्शा लच्छा एवं हाल नक्शा खण्ड 45 के दक्षिणी भाग का मिलान करने पर पाया गया कि दुबेली गोबप है जिसके पुस्तकित कर नजदी नक्शा ट्रेस द्वारा चिह्नित कर सलगन किया है।

दिनांक 10/12/19 को तहसीलदार जगवारागढ ने दिनांक 03/2018 को

P-70

सु
समसंध अधिकारी
जगवारागढ

कार्यालय टिप्पणी

प्रार्थना पत्र सं- 166/2018
में क बनाम साका

रिपोर्ट पेज की तथा दूसरी रिपोर्ट
पत्रांक 286 दिनांक 24/10/2019 के द्वारा
रिपोर्ट पेज की दोनों रिपोर्टों में विरोधावाह
है। तदस्मीलपार जजकारामगठ को निर्देश
दिये कि दोनों रिपोर्टों का अन्वेषण
कर स्पष्ट रिपोर्ट मध्य अभिवाका के
मिलवाना सुनिश्चित करें।

इस अपापाल्य के पत्रांक 1270 दिनांक
4/3/2020 के द्वारा तदस्मीलपार जजकारामगठ
को पत्र लिखा गया। उक्त पत्र की
पालना में तदस्मीलपार जजकारामगठ
में अपने पत्रांक 1451 दिनांक 3/9/2020
के द्वारा रिपोर्ट पेज की। जिसमें अंकित
किना कि दिनांक 24/10/2019 के पत्र
रिपोर्ट मजरी नकले के साथ प्रत्यु
की वाई को रिपोर्ट अंतिम लेकर सही
अतः दुबलत किना जना उचित बताया।

दिनांक 24/11/2020 को प्रार्थी आवपी
भूमि का दुबलत करवाना चाहता है।
आवपी भूमि के सम्बन्ध में विकास
अधिकारी को पत्रकार जमी बनाया गया
है तथा प्रकरण में BDO को पत्रकार
बनाये जाते के आदेश दिए गये। प्रार्थी
संबन्धित उजवान पेज करें। तथा आवपी
भूमि के सम्बन्ध में BDO को पत्र लिखा
जाकर रिपोर्ट मंगावाई जाये। इत अपापाल्य
के पत्रांक 5391 दिनांक 24/11/20 के द्वारा
विकास अधिकारी को पत्र लिखा गया।

Op P.No-
उपखण्ड अधिकारी
जजकारामगठ

कार्यालय टिप्पणी

प्रमाण पत्र सं- 166/2018

भैंस बनाम सरकार

विकास अधिकारी जयवामराज ने अपने पत्र सं 5663 दिनांक 23/12/2020 के द्वारा रिपोर्ट पेश की जिसमें उक्त किराए के प्रकार में ग्राम वासना में प्रकार से सम्बन्धित किराए की प्रकार का किराए ग्राम वासना में उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त प्रकार सरकार की दफ्तार सुनी बाई दफ्तार सुनी व पत्रावली को कदलेकर कर्ज पर प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम वासना तहसील जयवामराज जिला जयपुर के द्वारा भी सं. 45 दिनांक 10/12/2019 को सुनी बाई दफ्तार सुनी जयवामराज की रिपोर्ट 24/11/2019 को नजदी नकसे के अनुसार दुरुस्त करने के लिये तहसीलदार जयवामराज को किये जाते हैं तदनुसार शक्य नकसे में उक्त किया जावे।

गिरण की पुत्री तहसीलदार जयवामराज को पालनार्थ हेतु अतिरिक्त लाया।
पत्रावली के माध्यम से कर्ज को वाद प्राप्त हुआ है।
CA धर्म गिरण द्वारा दिनांक 28/10/2021 को सुनाया गया।

जयवामराज अधिकारी
जयवामराज